

क्षेत्रीय परिषदें (Regional Councils)

संघीय व्यवस्था में केन्द्र व राज्यों के बीच शक्ति का वितरण किया जाता है। लेकिन यह भी जरूरी हो जाता है। इकाइयों को एक दूसरे से जोड़ा जाये। ताकि केन्द्र व राज्यों के बीच झूट-फूट की प्रक्रिया शुरू न हो सके। राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। अतः नये राज्यों का निर्माण हुआ।

कुछ राज्यों व क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान (Special provisions for some states and areas)

हम देख चुके हैं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था स्थापित की गयी है। अतः केन्द्र व राज्यों के बीच शक्तियाँ का वितरण किया गया है। राज्य की सरकारों को अपने अर्थात् क्षेत्र में स्वायत्तता दी गयी है। केन्द्र किसी संघ-शासित क्षेत्र को राज्य का दर्जा दे सकता है जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम व जलजाल प्रदेश बिहार व मध्य प्रदेश को काटकर क्रमशः उत्तराखण्ड, झारखण्ड व छत्तीसगढ़ के राज्य बने।

इमारा संविधान हमारे राष्ट्र का आधार रतंत्र है।

~~1950~~ 1950 में इसका उद्घाटन हुआ और तभी से यह चला आ रहा है।

दुनिया की बात है कि शालिया समय में इसके क्रियान्वयन में गिरावट आयी है। साथ ही भारत को इससे बड़ा अन्य कोई आपश्चक्य नहीं है कि यहाँ इमानदार लोग हैं जो देश के हित को लागू समझेंगे।